No. Agr. H(I)(B)5-8/79-Vol-XII
Directorate of Agriculture,
Himachal Pradesh.

From:

Director of Agriculture,
Himachal Pradesh.

To

All the Controlling Officers/Heads of Offices
in the Department of Agriculture, H.P.

Dated Shimla-5, the 23 DEC 2022

Subject:- **Notification regarding amendment in R&P Rules of Surveyor.**

Memo,

Please find enclosed herewith a copy of letter No.Agr.A-B(2)1/2017, dated 28.11.2022, received from the Secretary (Agri.) to the Government of H.P.. on the subject cited above for information, please.

Director of Agriculture,
Himachal Pradesh.

Directorate of Agriculture, H.P.
Dy. No. 775
Date 2/12/22
Establishment Branch

हिमाचल प्रदेश सरकार
कृषि विभाग

संख्याः कृषि–ए–बी(2)1/2017 तारीख शिमला–2, 28.11.2022

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग में सर्वेयर वर्ग–III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:-
(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, सर्वेयर वर्ग–III, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2022 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई–गज़ट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्तियां:-
(1) अधिसूचना संख्या एग्र0ए0–3(6)/95 तारीख 29.01.2000 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, सर्वेयर वर्ग–III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2000 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति या बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

(राकेश कंवर)
सचिव (कृषि)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या :– यथोपरि। तारीख शिमला–2, 28.11..2022
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक),हि0प्र0 सरकार शिमला–2.
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त),हि0प्र0 सरकार शिमला–2.

Shri Hari Chand Sharma
02/12/22

2330
2/12/22

3. सचिव, हि०प्र० लोक सेवा आयोग, शिमला–2 को उनके पत्र संख्या:1-6/98–पी०एस०सी०–पार्ट दिनांक 01.08.2022 के सन्दर्भ में।
4. अतिरिक्त विधि परामर्शी एवं अतिरिक्त सचिव (विधि–राजभाषा) हिमाचल प्रदेश सरकार।
5. निदेशक कृषि, हिमाचल प्रदेश शिमला–171005।
6. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–171005 को असाधारण ई–राजपत्र में प्रकाशन करने हेतु।

(जोगी राम अत्री)
अवर सचिव (कृषि)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

उपाबंध–"क"

हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग में सर्वेयर वर्ग–III (अराजपत्रित), के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1.	पद का नामः	सर्वेयर
2.	पद (पदों) की संख्याः	49 (उन्नचास)
3.	वर्गीकरणः	वर्ग–III (अराजपत्रित)
4.	वेतनमानः	(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतनमान) नियम, 2022 के पे मैट्रिक्स लेवल –6 (₹ 25,600-81,200)। (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए परिलब्धियाँः ₹ 15360/- प्रतिमास (पे मैट्रिक्स के लेवल–6 के प्रथम कोष्ठ का साठ प्रतिशत)
5.	"चयन" पद अथवा "अचयन" पदः	लागू नहीं ।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयुः	18 से 45 वर्ष के बीच।
	परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा मे रत अभ्यार्थियों को लागू नहीं होगीः परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगाः परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना की हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए	

	गए थे। टिप्पणः सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।	
7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं:	(क) अनिवार्य अर्हता :– (i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दसवीं की परीक्षा पास की हो : परन्तु अभ्यर्थी ने आठवीं और दसवीं की परीक्षा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित किसी स्कूल/संस्थान से अवश्य पास की हो : परन्तु यह शर्त हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासियों को लागू नहीं होगी। (ii) राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी आई0टी0आई0/संस्थान से सर्वेयर ट्रेड का दो वर्ष का प्रमाण–पत्र कोर्स प्राप्त किया हो। टिप्पणः– 11 जुलाई, 2014 से 10 जनवरी, 2019 के मध्य अवधि के दौरान अर्जित सर्वेयर ट्रेड में एक वर्ष का प्रमाण–पत्र रखने वाले पदधारी भी पात्र होंगे। (ख) वांछनीय अर्हता(एं) : हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहीः	आयु : लागू नहीं। शैक्षिक अर्हता(एं): लागू नहीं ।
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होः	(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे। (ख) संविदा,सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा लागू नहीं होगी।
10.	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले	शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा निम्न प्रकार सेः– (क) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति,

	पदों की प्रतिशतता :	नियमित आधार पर या संविदा आधार पर भर्ती द्वारा। (ख) पचास प्रतिशत वैचवाइज आधार पर यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा आधार पर भर्ती द्वारा।
11.	प्रोन्नति / सैकेण्डमैंट / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति / सैकेण्डमैंट / स्थानान्तरण किया जाएगा :	लागू नहीं।
12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति / विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान है तो उसकी संरचनाः	(क) विभागीय प्रोन्नति समितिः लागू नहीं। (ख) विभागीय स्थायीकरण समितिः जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।
13.	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14.	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाः	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।
15.	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः	(क) हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से सीधी भर्तीः- सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन लिखित परीक्षा और /या व्यवहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के गुणागुण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर / पाठयक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग / हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर / अन्य भर्ती अभिकरण / प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा। (ख) सम्बद्व भर्ती प्राधिकरण के माध्यम से बैचवाइज आधार पर सीधी भर्ती – बैचवाइज आधार पर सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, निदेशक, कृषि द्वारा अभ्यर्थियों के किसी विशिष्ट बैच की बैचवाइज गुणागुण (मैरिट) पारस्परिक वरिष्ठता के आधार पर कियाा जाएगा जो राज्य / केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्त्तीण हो गए है। सर्वेयर का डिप्लोमा / पाठयक्रम की मूल (असल) "विस्तृत अंक सूची" पर सम्बद्ध विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा अभिलिखित तारीख अभ्यर्थी के बैच की गणना के

		लिए तारीख समझी जाएगी। किसी विशिष्ट बैच का बैचवाइज गुणागुण (मैरिट) /पारस्परिक वरिष्ठता, सर्वेयर के डिप्लोमा/पाठयक्रम में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर अवधारित की जाएगी । यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा डिप्लोमा पाठयक्रम में अभिप्राप्त अंक एक समान हैं तो पारस्परिक मैरिट मैट्रिक स्तर में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर अवधारित किया जाएगा और यदि फिर भी अंक बराबर है तो आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को गुणागुण (मैरिट) पारस्परिक वरिष्ठता में कनिष्ठ से ऊपर रखा जाएगा। यदि अभ्यर्थियों के एक समान अंक हैं तो आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को गुणागुण (मैरिट) में कनिष्ठ अभ्यर्थी के ऊपर रखा जाएगा। टिप्पणः– अभ्यर्थियों को प्रथम तैनाती राज्य के दूरस्थ और कठिन क्षेत्रों में प्रस्तावित की जाएगी जहां उन्हें कम–से –कम पांच वर्ष के लिए सेवा करनी होगी।
15 (क)	संविदा नियुक्ति, द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :	इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी :– (I) <u>संकल्पना</u> : (क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग में सर्वेयर को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में, एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर नवीकरण/विस्तारण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी । (ख) पचास प्रतिशत पदों का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में आनाः निदेशक, कृषि, हिमाचल प्रदेश रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) पचास प्रतिशत पदों का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर होना:

निदेशक, कृषि, हिमाचल प्रदेश सर्वेयर के रिक्त पदों को बैचवाइज आधार पर संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात रिक्त पद (पदों) के ब्यौरे रोजगार कार्यालयों और कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करेगा और इन नियमों में विहित अर्हता रखने वाले और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमन्त्रित करेगा।

(घ) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तो के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक परिलब्धियाँ:

संविदा पर नियुक्त सर्वेयर को ₹15360/– की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी (जो पे मैट्रिक्स के लेवल–6 के प्रथम कोष्ठ के 60 प्रतिशत के बराबर होगी)।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी:

निदेशक, कृषि, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रकिया:

(क) हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के माध्यम से सीधी भर्ती–

संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा और/या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के गुणागुण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठयक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(ख) सम्बद्ध भर्ती प्राधिकरण के माध्यम से बैचवाइज आधार पर सीधी भर्ती–

बैचवाइज आधार पर सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, निदेशक, कृषि द्वारा अभ्यर्थियों के किसी विशिष्ट बैच की बैचवाइज गुणागुण मैरिट

पारस्परिक वरिष्ठता के आधार पर कियाा जाएगा जो राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण हो गए है।

सर्वेयर का डिप्लोमा/पाठ्यक्रम की मूल (असल)"विस्तृत अंक सूची" पर सम्बद्ध विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा अभिलिखित तारीख अभ्यर्थी के बैच की गणना के लिए तारीख समझी जाएगी।

किसी विशिष्ट बैच का बैचवाइज गुणागुण (मैरिट)/पारस्परिक वरिष्ठता, सर्वेयर डिप्लोमा/पाठ्यक्रम में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर अवधारित की जाएगी। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा डिप्लोमा पाठ्यक्रम में अभिप्राप्त अंक एक समान हैं तो पारस्परिक मैरिट मैट्रिक स्तर में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर अवधारित किया जाएगा और यदि फिर भी अंक बराबर है तो आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को गुणागुण (मैरिट) पारस्परिक वरिष्ठता में कनिष्ठ से ऊपर रखा जाएगा।

यदि अभ्यर्थियों के एक समान अंक हैं तो आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को गुणागुण (मैरिट) में कनिष्ठ अभ्यर्थी के ऊपर रखा जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(VI) करारः

अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–"ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्ते :

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹15360/– की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी (जो पे मैट्रिक्स के लागू लेवल के प्रथम कोष्ठ के 60 प्रतिशत के बराबर होगा)।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो

नियुक्ति पर्यवसित किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान हो जाएगा। तथापि, आपवाधिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए

बीमारी / आरोग्य प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरूद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा–शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0आर0–एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ–साथ ई0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा ।

16.	आरक्षणः	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन–जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।
17.	विभागीय परीक्षाः	लागू नहीं।
18.	शिथिल करने की शक्तिः	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

******

उपाबन्ध–ख

सर्वेयर वर्ग–III (अराजपत्रित) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, कृषि हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का पारूप।

यह करार श्री/श्रीमति..पुत्र/पुत्री श्री.. .... निवासी .... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक (कृषि) हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख .... को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने सर्वेयर के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:–

1. यह कि प्रथम पक्षकार सर्वेयर के रूप में .... से प्रारम्भ होने और .... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात् .... को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

   परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार प्रक्रिया की संविदात्मक रकम ₹ 15360/– प्रतिमास होगी।

3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा ।

4. संविदा पद नियुक्त सर्वेयर एक कलैण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के

लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा।

7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरूद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा–शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा ।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः

1. ....
....
....
(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

2. ....
....
....
(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)